प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **15/2026** (अपील सूचना का अधिकार)
हृदयेश सुहालका पुत्र बंशीलाल पताः 88, सवीना मेन रोड़, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

दिनांकः 24/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/15/26/68–69 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./प्र.अ–15/26/1008 दिनांक 03.02.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र में वर्णित कार्यालय हाजा से संबंधित सूचना इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक प–9/भू.अ./सू.अ./2025/10295–10298 दिनांक 30.12.2025 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्र इस कार्यालय द्वारा नियम समयावधि में प्रेषित किया गया। अब कोई सूचना उपलब्ध कराया जाना इस अनुभाग स्तर पर शेष नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमाने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 10295–10298 दिनांक 30.12.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-03-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर